राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2043/2023

रोशन कुमार मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, टोंक (राज.)।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, निवाई, जिला टोंक (राज.)।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, देवली, जिला टोंक (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.08.2023
आदेश की दिनांक : 16.10.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विज्ञान शाह एवं श्री कमलेश शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में मुख्य खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर ब्लॉक निवाई, जिला टोंक में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 18.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, श्रीनगर थावला देवली, जिला टोंक में किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक के पद पर दिनांक 28.09.2018 को हुई थी। अपीलार्थी का विवाह दिनांक 22.11.2015 को हुआ था। अपीलार्थी की पत्नी के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायत दर्ज की गई, जिसमें यह कथन किया गया कि विवाह के समय अपीलार्थी नाबालिक था और शादी उपरांत बालिग होने के उपरांत अपीलार्थी ने शादी स्वीकार नहीं की, जिससे उसकी पत्नी अपीलार्थी के साथ नहीं रह रही थी और अपीलार्थी का अध्यापक के पद पर चयन होने के बाद अपीलार्थी ने दिनांक 28.09.2018 को कार्यग्रहण किया। परंतु सेवा में इसका कोई संबंध न होने के कारण भी अपीलार्थी

को सीसीए नियम के अंतर्गत बिना चार्जशीट जारी किए दिनांक 17.10.2022 को निलंबित कर दिया गया और आदेश दिनांक 31.10.2023 के द्वारा अपीलार्थी को पीईईओ गांवडी देवली, जिला टोंक से मुख्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, देवली कर दिया गया। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में विभाग को जवाब प्रस्तुत किया। परंतु विभाग ने उस पर कोई विचार नहीं किया। इसी क्रम में अपीलार्थी ने दिनांक 22.02.2022 को धारा 107, 116(3) सीआरपीसी के तहत पत्नी एवं उसके संबंधियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज की, जिसके क्रम में एसडीओ द्वारा 8 लोगों को बैन किया गया। अपीलार्थी ने एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 16305/2022 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की और माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 11.05.2023 को पारित करते हुए अपीलार्थी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं विभाग को 2 माह में निस्तारण करने का निर्देश दिया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन विभाग को प्रस्तुत किया और विभाग ने अभ्यावेदन निस्तारण करते हुए अपीलार्थी को दिनांक 19.07.2023 के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, श्रीनगर थावला देवली, जिला टोंक के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया। उनका कथन है कि इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध निलंबन आदेश जारी किया जाना नियम एवं विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 18.07.2023 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर निवाई जिला टोंक में कार्य करने के आदेश दिए जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन मुख्य खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर ब्लॉक निवाई, जिला टोंक में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 18.07.2023 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की जांच लम्बित रखते हुए उसे बाहर किया गया है और आदेश दिनांक 17.10.2022 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2018 में आवेदन एवं कार्यग्रहण करते समय तथ्य छुपाकर झूठा शपथ ग्रहण प्रस्तुत कर कार्यग्रहण किया, जो कि राज्य सेवा नियमों के विपरीत है। जबकि अपीलार्थी का कार्यग्रहण पूर्व से ही श्रीमती सरिता मीणा के साथ दिनांक 22.11.2015 को विवाह सम्पन्न हुआ था और

अपीलार्थी ने राजकीय सेवा में वर्ष 2018 में अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर कार्यग्रहण किया था। परंतु अपीलार्थी ने नियुक्ति आवेदन के समय आवेदन पत्र में अविवाहित दर्शाया, जिसके कारण अपीलार्थी को झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर निलंबित किया गया है और निलंबन उपरांत उसकी जांच लंबित रखते हुए आदेश दिनांक 18.07.2023 के द्वारा बहाल करते हुए उक्त आदेश के क्रम में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, श्रीनगर थावला देवली, जिला टोंक के लिए आदेश दिनांक 19.07.2023 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया, जो हमारे मत में नियमानुसार एवं उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)